

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 280]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 26 सितम्बर 2024—आश्विन 4, शक 1946

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 सितम्बर 2024

क्रमांक GAD/2/0006/2024/GAD-1-01(GAD)- भारत के संविधान के अनुच्छेद 166 के खण्ड (2) एवं (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, मध्यप्रदेश शासन कार्य (आवंटन) नियम में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात:-

संशोधन

उक्त नियमों में, अनुसूची में, विद्यमान शीर्षक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों "तेरह-ऊर्जा विभाग" के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्षक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात:-

‘तेरह-ऊर्जा विभाग’

(अ) विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय:

1. ताप विद्युत.
2. जल विद्युत योजनाएं (25 मेगावाट से अधिक) .
3. पारेषण तथा वितरण.
4. ऐसी सेवाओं से सम्बद्ध सभी विषय जिनका विभाग से संबंध हो (वित्त विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग को आवंटित किए गए विषयों को छोड़कर) उदाहरणार्थ-नियुक्तियां, पदस्थापनाएं, स्थानांतरण, वेतन, छुट्टी, निवृत्ति वेतन, पदोन्नतियां, भविष्य निधियां, प्रतिनियुक्तियां, दण्ड तथा अभ्यावेदन.

5. (एक) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 49) की धारा 19 के अधीन अभियोजन की मंजूरी.
(दो) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का 46) की धारा 218 तथा विशेष/अन्य अधिनियमों के अंतर्गत लोक सेवकों के विरुद्ध अभियोजन की मंजूरी.
 6. विद्युत क्रय एवं विक्रय व उसका प्रबंधन.
 7. विद्युत सुरक्षा.
- (आ) विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम और नियम:
1. विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36).
 2. विद्युत नियम, 2005.
 3. मध्यप्रदेश अनुज्ञापन मण्डल (विद्युत) विनियम, 1960.
 4. मध्यप्रदेश विद्युत शुल्क अधिनियम, 2012
(क्रमांक 17 सन् 2012).
 5. मध्यप्रदेश सरकारी विद्युत उपक्रम (शोध राशि वसूली) अधिनियम, 1961(क्रमांक 36 सन् 1961).
 6. मध्यप्रदेश उपकर अधिनियम, 1981(क्रमांक 1 सन् 1982).
 7. मध्यप्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम, 2000
(क्रमांक 4 सन् 2001).
 8. मध्यप्रदेश विद्युत शुल्क नियम, 1949.
 9. मध्यप्रदेश विद्युत सुधार प्रथम अंतरण योजना नियम, 2003.
 10. मध्यप्रदेश विद्युत सुधार अंतरण योजना नियम, 2006.
 11. मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (अध्यक्ष व सदस्यों के वेतन, भत्ते, एवं अन्य सेवा शर्तें) नियम, 2000.
 12. मध्यप्रदेश विद्युत(अनंतिम निर्धारण आदेश की तामील)नियम, 2004.
 13. मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग निधि नियम, 2005.
 14. मध्यप्रदेश विद्युत (नोटिस, आदेश तथा दस्तावेज के तामील की रीति) नियम, 2006.
 15. मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग(राज्य आयोग के वार्षिक लेखे के प्ररूप एवं समयावधि)नियम 2008.
 16. अनुज्ञप्ति मंजूर किये जाने के लिए आवेदन शुल्क नियम, 2012.
 17. मध्यप्रदेश विद्युत दुर्घटनाओं की सूचना (प्रपत्र तथा नोटिस की तामील) नियम, 2016.

18. विद्युत संस्थापनाओं में निरीक्षण एवं अनुमोदन हेतु फीस का उदग्रहण (मध्यप्रदेश) नियम, 2017.
19. मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (वार्षिक रिपोर्ट) नियम, 2019.
20. मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (बजट) नियम, 2019.

(इ) विभाग के अधीन आने वाले संचालनालय तथा कार्यालय :

1. विद्युत निरीक्षकालय.
2. मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग.

(ई) अधिनियमों के अधीन गठित मण्डल तथा निगम:
कुछ नहीं.

(उ) ऊपर (ई) के अधीन न आने वाली अन्य संस्थाएं तथा निकाय :

1. मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर.
2. मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, भोपाल.
3. मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, इन्दौर.
4. मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड, जबलपुर.
5. मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर.
6. मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, जबलपुर.

(ऊ) विभाग के अधीन आने वाली सेवाओं के नाम, यदि कोई हों, और विशेष सेवा विषय, यदि कोई हों:

1. मध्यप्रदेश विद्युत निरीक्षकालय के प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी सेवाएं तथा आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की सेवाएं.
2. मध्यप्रदेश विद्युत विनियामक आयोग की प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी सेवाएं तथा आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की सेवाएं.”

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय बट्टेसरिया, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 26 सितम्बर 2024

क्र. GAD-2-0006-2024-GAD-1-01-(GAD).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक GAD-2-0006-2024-GAD-1-01-(GAD), दिनांक 26 सितम्बर 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय कटेशरिया, उप सचिव.

Bhopal, the 26th September 2024

No. GAD/2/0006/2024/GAD-1-01(GAD)- In exercise of the powers conferred by clauses (2) and (3) of Article 166 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh is pleased to make the following further amendments in the Madhya Pradesh Government Business (Allocation) Rules, namely:-

AMENDMENTS

In the said rules, In the Schedule, for the existing heading and entries relating thereto "XIII-ENERGY DEPARTMENT", the following heading and entries relating thereto shall be substituted, namely: -

"XIII-ENERGY DEPARTMENT"

(A) Matters of Policy Dealt within the Department:

1. Thermal Power.
2. Hydro power Schemes (more than 25 Megawatt).
3. Transmission and Distribution.
4. All matters relating to the services with which the Department is concerned (other than matters allotted to the Finance Department and the General Administration Department) e.g. appointments, postings, transfers, pay, leave, pensions, promotions, provident funds, deputations, punishments, and memorials.
5. (i) Sanction of prosecution under section 19 of the Prevention of Corruption Act. 1988 (49 of 1988).
(ii) Sanction of prosecution against Public Servants under Section 218 of the Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita, 2023 (46 of 2023) and Special/other Acts.
6. Sale and purchase of power and its management.
7. Electrical safety.

(B) Acts and Rules Administered by the Department:

1. The Electricity Act, 2003 (36 of 2003).
2. The Electricity Rules, 2005.

3. The Madhya Pradesh Anugyapan Mandal (Vidut) Viniyam, 1960.
4. The Madhya Pradesh Vidyut Shulk Adhiniyam, 2012 (No. 17 of 2012).
5. The Madhya Pradesh Government Electrical Undertaking (Dues Recovery) Act, 1961(No. 36 of 1961).
6. The Madhya Pradesh Upkar Adhiniyam, 1981(No.1 of 1982).
7. The Madhya Pradesh Vidut Sudhar Adhiniyam, 2000 (No. 4 of 2001).
8. The Madhya Pradesh Electricity Duty Rules, 1949.
9. The Madhya Pradesh Electricity Reforms First Transfer Scheme Rules, 2003.
10. Madhya Pradesh Electricity Reforms Transfer Scheme Rules, 2006.
11. The Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Salary, Allowance and other service conditions of Chairman and Members) Rules, 2000.
12. The Madhya Pradesh Electricity (Service of Provisional assessment Order) Rules, 2004.
13. The Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission Fund Rules, 2005.
14. The Madhya Pradesh Electricity (Manner of Service of Notice. Order and Document) Rules, 2006.
15. The Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Form and Time of State Commissions annual Accounts) Rules, 2008.
16. The Application Fees for Grant of Licence Rules, 2012.
17. The Madhya Pradesh Intimation of Electricity Accident (Form and Services of Notice) Rules, 2016.
18. The Levy of Fees for Inspection and Approval of Electrical Installations (Madhya Pradesh) Rule, 2017.
19. The Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Annual Report) Rules, 2019.
20. The Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Budget) Rules, 2019.

(C) Directorates and offices coming under the Department:

1. Inspectorate of Electricity.
2. Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission.

(D) Boards and Corporations set up under Acts:

Nil.

(E) Other Institutions and Bodies not covered under (D) above:

1. Madhya Pradesh Poorv Kshetra Vidyut Vitaran Company Ltd., Jabalpur.
2. Madhya Pradesh Madhya Kshetra Vidyut Vitaran Company Ltd., Bhopal
3. Madhya Pradesh Paschim Kshetra Vidyut Vitaran Company Ltd.. Indore.
4. Madhya Pradesh Power Generating Company Ltd., Jabalpur,
5. Madhya Pradesh Power Management Company Ltd., Jabalpur.
6. Madhya Pradesh Power Transmission Company Ltd., Jabalpur.

(F) Name of Services, if any, coming under the Department and special Service matters, if any:

1. Class-I, Class-II, Class-III and Class-IV services and contingency paid services of Madhya Pradesh Inspectorate of Electricity.
2. Class-I, Class-II, Class-III and Class-IV services and contingency paid services of Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
AJAY KATESARIA, Dy. Secy.